

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल  
हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.)  
(ऑन लाईन निविदा दस्तावेज)  
दुग्ध परिवहन कार्य  
2019–2021

# भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

क्रमांक /

/ भो.दु.सं./ क्षे.सं./ दु.परि.नि./ 27/19

भोपाल दिनांक

## —:दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु अल्पकालीन आन—लाईन(On-Line) निविदा सूचना:—

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल से सम्बंधित दुग्ध शीत केन्द्र मालीवायॉ, भोपाल/बैरसिया, पचमा, हरदा, मुलताई, राजगढ़, बरेली, आष्टा, ग्यारसपुर, शुजालपुर, बैतूल, नरसिंहगढ़, पचोर, गैरतगंज, सिलगानी, विदिशा, गुना, से संबंधित दुग्ध संकलन मार्गों पर दुग्ध परिवहन कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं भोपाल क्षेत्र में तरल नत्रजन कन्टेनर के परिवहन हेतु इच्छुक वाहन मालिकों से प्रतिक्रिया की दर से वर्ष 2015 या उसके बाद के पंजीकृत पिक—अप, टाटा ए.सी.ई., टाटा 407, आयशर ट्रक या समकक्ष क्षमता के वाहनों के लिए दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 दो वर्ष की अवधि हेतु दिनांक 06.02.2019 से दिनांक 26.02.2019 तक आन—लाईन(On-Line) बेब साइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) के माध्यम से एक या एक से अधिक व्यक्ति/ऐजेंसी/संस्थाओं से निविदाए आंमत्रित की जाती है।

प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ रु. 10000.00 प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से अथवा अधिकतम राशि रु. 200000.00 की **एमपीसीडीएफ** जमा कराना अनिवार्य होगी, जिसकी मूल रसीद भौतिक रूप से जमा किये जाने वाले निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की बेब साइट [www.mpcdf.nic.in](http://www.mpcdf.nic.in) से प्राप्त की जा सकती है एवं [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से फार्म भरे जा सकते हैं। समस्त अथवा कुछ निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बिना कारण बताये स्वीकृति/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

1. निविदा कार्य :— भोपाल दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध परिवहन एवं तरल नत्रजन परिवहन हेतु वाहन।
  2. निविदा प्रपत्र का मूल्य :— रूपये 250/- (दो सौ पचास रूपये मात्र नगद) ऑन लाईन।
  3. निविदा क्रय प्रारंभ दिनांक : दिनांक 06.02.2019 दोपहर 01:00 बजे से।
  4. निविदा क्रय करने की अंतिम दिनांक : दिनांक 26.02.2019 दोपहर 2:00 बजे तक।
  5. भौतिक निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय: दिनांक 26.02.2019 दोपहर 3:30 बजे तक।
  6. आन लाईन निविदा खुलने की दिनांक एवं समय : दिनांक 27.02.2019 दोपहर 3:30 बजे।
  7. निविदा खोलने का स्थान : कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल।
  8. व्यवहार हेतु पता : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल।
  9. किसी भी निविदाकार द्वारा एक मार्ग पर एक से अधिक निविदा जमा करना मान्य नहीं है।
  10. निविदाकार द्वारा भौतिक निविदा प्रपत्र को लिफाफे मे भेजना होगा।
- (अ) धरोहर राशि (EMD) — [इलेक्ट्रॉनिक बिड]
- (ब) Technical Bid — लिफाफे में भेजे
- (स) निविदा प्रपत्र (Price Bid) — केवल ऑनलाईन भेजे

**नोट:**—सभी निविदाकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑन लाईन जमा की गई धरोहर राशि (EMD) की मूल रसीद भौतिक रूप से भेजे जाने वाले निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करे। भौतिक निविदा प्रपत्र निविदा खोलने की दिनांक एवं समय से पूर्व भौतिक रूप से भोपाल दुग्ध संघ में जमा करें। निविदा प्रपत्र Price Bid को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जावे।

**भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल  
दुग्ध परिवहन निविदा प्रस्तुत करने बावत् निर्देश एवं अन्य शर्ते**

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा विभिन्न मार्गों से दुग्ध संकलन, शीत केन्द्र/आरएमआरडी, भोपाल तक परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तों को कृपया ध्यान से पढ़ लेवें।
2. निविदा के साथ रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख धरोहर राशि आन लाईन जमा करना होगी। प्रतिभूति राशि कुल कार्य आदेश की 2 प्रतिशत् तथा सुरक्षा राशि कुल कार्य आदेश की 5 प्रतिशत् रहेगी। धरोहर राशि बावत् अन्य कोई भी प्रमाण—पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। आन लाईन जमा की गई धरोहर राशि रूपये 10,000/- प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख की मूल रसीद निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी। यदि किसी की निविदा स्वीकृत नहीं होती है, और उसकी ई.एम.डी. प्रतिभूति राशि संघ में जमा है, तो उस निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा ई.एम.डी. राशि को आगामी निविदा में समायोजन करने के आवेदन पर उस राशि को आगामी निविदा की ई.एम.डी. राशि के रूप में मान्य किया जावेगा।
3. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को, निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।
4. निविदा दिनांक 26.02.2019 को दिन के 3:30 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में स्वीकार की जावेगी। इसके लिए कार्यालयीन घड़ी का समय ही मान्य होगा।
5. निविदा प्रस्तुत करने के दिनांक को ऐसे निविदाकार जिनके पास स्वयं के नाम का आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत वाहन हो या ऐसे निविदाकार जो कार्य प्रारंभ करने के 10 दिन पूर्व अपना वाहन उपलब्ध करा सकेंगे, वे निविदा भरने के पात्र होंगे। इस समयावधि में किसी भी स्थिति में बढ़ोत्तरी नहीं की जावेगी। निर्धारित अवधि में ऐसे निविदाकारों द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। निविदाकार द्वारा स्वयं की मिलकीयत दर्शाने के लिए कोई इकारानामा/शपथ पत्र/रसीद अथवा कोई अधिकार पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। केवल आर.टी.ओ. द्वारा पंजीकृत पत्र ही वाहन की मिलकीयत के लिए मान्य होगा।
6. नवीन वाहन की स्थिति में निविदाकार को कार्यादेश प्राप्त करने के दिनांक से एक माह की अवधि के अंदर कार्यादेश में वर्णित समस्त दस्तावेज उपलब्ध (प्रस्तुत) करना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
7. सफल निविदाकार की वाहन में संघ स्तर से जी.पी.एस. प्रणाली (GPS SYSTEM) लगाया जावेगा जिसका व्यय एवं किराया संघ द्वारा वाहन ठेकेदार के देयक से कटौत्रा किया जावेगा एवं जी.पी.एस. की मानीटरिंग संघ स्तर पर की जावेगी।
8. निविदा में दर निर्धारण करते समय एक मार्ग पर एक से अधिक निविदाकार की दर समान आने की स्थिति में वाहन के नवीनतम माडल को प्राथमिकता दी जावेगी।
9. तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोलने हेतु एक उपसमिति जिसमें मार्ग से सम्बंधित दुग्ध शीत केन्द्र प्रभारी एवं क्षेत्र संचालन प्रभारी शामिल रहेंगे।

10. निविदाकार के पास स्वयं के नाम पर पंजीकृत व्यावसायिक वाहन होना चाहिये। ऐसे निविदाकार ही निविदा भरने के पात्र होगे। निविदा की जाने वाली वाहन का बीमा, पंजीयन, पेन कार्ड, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीयन, प्रदूषण जॉच रिपोर्ट एवं अन्य कागजात निविदा पत्र के साथ तकनीकी बिड वाले लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा स्वीकृत होने पर निर्धारित तिथि पर वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित मार्ग की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. निविदा में दुग्ध संकलन मार्गों के लिये चाही गई क्षमता की वाहन की दर में समस्त व्यय सम्मिलित कर प्रति कि.मी. की दर उल्लेखित की जाना चाहिये। न्यूनतम दर वाले निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी। परिवहन दर व्यवहारिक रूप से अनुकूल न होने पर संघ द्वारा निविदा अमान्य की जावेगी।
12. निविदा में निर्धारित मार्ग में दूरी की कमी/वृद्धि की जा सकेगी, जिसका भुगतान स्वीकृत दर के अनुसार घटी/बढ़ी दूरी के अनुपात में कम/अधिक भुगतान किया जावेगा।
13. निविदा के अस्वीकृत होने पर धरोहर राशि की पूरी रकम वापस लौटायी जायेगी अथवा निविदा स्वीकार होने पर धरोहर राशि की रकम ठेके के निबंधों और शर्तों के अनुसार दी जाने वाली जमानत में समायोजित कर ली जावेगी।
14. निविदा सभी मार्ग तथा किसी भी एक मार्ग के लिए अस्वीकृत की जा सकती है।
15. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी विभिन्न सूचना/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा परिवहन हेतु निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।
16. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्त्यार नामा है। इस प्रकार उक्त भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र भौतिक निविदा प्रपत्र के साथ लिफाफे में देना होगा।
17. दुग्ध संघ की ऐसी पंजीकृत दुग्ध समितियाँ, जो दुग्ध परिवहन लोडिंग वाहन, मार्केटिंग वाहन आदि क्य एवं संचालन करने में सक्षम तथा इच्छुक हैं, तो इन समितियों से दुग्ध परिवहन सेवाएँ दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर एवं शर्तों पर खुली निविदा आमंत्रित किये बिना ली जा सकेगी। दुग्ध संघ द्वारा दरों का निर्धारण वास्तविक व्यय के आंकलन के आधार पर किया जा सकेगा।
18. सभी निविदायें या कोई भी निविदा बिना कारण बताये अस्वीकृत की जा सकती है। निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् उसे वापस लेने का अधिकार निविदा प्रस्तुत कर्ता को नहीं होगा। निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर अमानत राशि राजसात कर ठेका निरस्त किया जावेगा।
19. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को अनुबंध तथा प्रतिभूति की राशि के साथ भोपाल दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रूपये 100/- का एक अंश प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से क्य करना होगा। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंधन मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेंगे। संघ के साथ व्यापारिक सम्बंध बने रहने तक वे नाम मात्र के सदस्य बने रहेंगे।

20. प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गों पर तीन निविदाएँ प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर (विगत अनुबंधित दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गों पर निविदाकर्ताओं से समझौतावार्ता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। दुग्ध संकलन मार्ग में निविदा में प्राप्त दर की तुलना गत निविदा के अंतिम भुगतान के देयक की दर से की जावेगी।
21. प्राप्त निविदाओं में जिन मार्गों पर तीन निविदाएँ प्राप्त होगी एवं पूर्व स्वीकृत दर(विगत अनुबंध दर) से अधिक पाई जावेगी, उन मार्गों पर निविदाकर्ताओं से समझौता वार्ता के आधार पर निर्धारित दरों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ऐसे दुग्ध संकलन मार्ग जिस पर निविदा में प्राप्त दर गत वर्ष की प्रारंभिक निविदा दर (डीजल दर वृद्धि/कमी)/वर्तमान दर (गत एक वर्ष की औसत दर) के समतुल्य/कम पाई जाती है तो समस्त अर्हताएँ पूर्ण होने पर उस मार्ग पर समझौता वार्ता नहीं कराई जावेगी।
22. निविदा स्वीकृत होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल द्वारा दी गयी कार्यादेश की सूचना की अभिस्वीकृति लिखित में सूचना प्राप्ति के 3 दिन के अंदर भोपाल कार्यालय/शीतकेन्द्र कार्यालय में ठेकेदार को रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये) अतिरिक्त सुरक्षा राशि के साथ जो संघ को ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराकर अभिस्वीकृति देनी होगी, अन्यथा वाहन ठेकेदार की धरोहर राशि जप्त कर निविदा निरस्त की जावेगी।
23. निविदाकार द्वारा निविदा हेतु आन लाईन जमा की गई रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) प्रति वाहन/दुग्ध संकलन मार्ग के मान से एवं अधिकतम राशि रूपये 2.00 लाख धरोहर राशि कार्य प्रारंभ न करने की दशा में संघ द्वारा सम्बंधित मार्ग की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
24. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो ऐसी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जावेगी।
25. नियमानुसार आयकर एवं अधिभार राशि की कटौती बिल में से की जायेगी यदि निविदाकार की कर योग्य आय कर निर्धारण सीमा से कम हो तो उसे आयकर अधिकारी से आयकर का कटौत्रा न करने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
26. दुग्ध संघ एवं दुग्ध समिति में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संचालक मण्डल के सदस्यों में निविदाकर्ता का कोई निकट का रिश्तेदार माता, पिता, पति, पत्नि, पुत्र, पुत्री, सगे भाई बहन आदि नहीं होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर एवं जॉच में सही पाये जाने पर निविदाकार द्वारा भरी गई समस्त प्रतिभूति/अमानत राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।
27. अ) भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर यदि कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी अथवा कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा तो उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार वाहन ठेकेदार को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर प्रावधान के अनुसार नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयको/प्रतिभूति से वसूल की जावेगी। जिसकी पूर्ण जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व वाहन ठेकेदार का होगा। वाहन ठेकेदार को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस प्रमाणीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा।

- ब) वाहन ठेकेदार को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। गणवेश का व्यय वाहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा ।
28. मुख्य कार्यपालन अधिकारीको यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेगा ।
29. सफल निविदाकार को रूपये 1000/-के नान ज्यूडिशियल स्टेम्प पेपर पर कार्य आदेश प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर संघ से विधिवत अनुबंध निर्धारित प्रारूप में निष्पादित करना होगा। अनुबंध निष्पादित न करने की स्थिति में वाहन के कार्य आदेश को निरस्त करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
30. जिन संस्थाओं द्वारा सील्ड केन दी जावेगी, उसे उसी स्थिति में केनों को दुग्ध शीत केन्द्र/आरएमआरडी भोपाल पहुँचाना होगा। सील टूटी होने पर समितियों के दूध कमी की राशि की वसूली दुग्ध परिवहन देयक से की जावेगी ।
31. निविदा वर्ष में चार साल पूर्व तक के ही वाहनों को निविदा में स्वीकार किया जावेगा ।
32. मार्ग की दूरी अनुमानित है तथा इसमें समितियों की कमी/वृद्धि के साथ कमी/वृद्धि हो सकती है। मार्ग की दूरी तथा संकलन के अनुसार वाहन व्यवस्था पुनरक्षित की जा सकती है तथा मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है एवं एक शीत केन्द्र से दूसरे शीत केन्द्र पर भी परिवर्तित किया जा सकता है ।
33. जिन दुग्ध संकलन मार्गों पर बल्कि मिल्क कूलर स्थापित हो रहे हैं अथवा किया जाना है, एवं दुग्ध वाहन के स्थान पर दुग्ध टैंकर से दूध लाने की संभावना है। साथ ही शासन की योजना के तहत अन्य जिन मार्गों पर बल्कि मिल्क कूलर स्थापित होंगे, वहाँ से टैंकर द्वारा दुग्ध संकलन की संभावना है। ऐसे मार्गों के दुग्ध परिवहन वाहन को कार्य से पृथक किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
34. शटल मार्गों को सुविधा अनुसार अन्य मार्गों में भी जोड़ा जा सकता है ।
35. वाहन ठेकेदार को दुग्ध संकलन वाहन पर साँची दुग्ध वाहन की पैटिंग स्वयं के व्यय पर कराना होगी ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.)

विषय :— दुग्ध परिवहन वाहन हेतु दर प्रस्तुत करने बाबद्।

महोदय,

मेरे द्वारा टेक्निकल बिड ऑनलाईन में निविदा फार्म के साथ अनिवार्यः संलग्न व प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़/सहपत्र स्व प्रमाणित किये जाकर स्कैन कर अपलोड किये गये हैं/भौतिक रूप से जमा किए गए हैं, जो निम्नानुसार संलग्न हैं। मुझे ज्ञात है कि इनमें से किसी भी दस्तावेज़ के अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

संक्र.	विवरण	विवरण		
		प्रस्तुत है	संलग्न क्रमांक	
1.	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण इस दस्तावेज़ के परिशिष्ट 2 को पूर्णतः भर कर संलग्न किया है। साथ ही इस निविदा दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ(फाईलेसियल बिड का प्रपत्र—3 छोड़कर) पर हस्ताक्षर कर तकनीकी बिड में प्रस्तुत किया जा रहा है।			
2.	तकनीकी बिड के साथ वांछित आन लाईन जमा की गई अर्नेस्ट मनी की मूल रसीद प्रस्तुत की गई है।			
3.	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।	क्रमांक		
4.	निविदा फार्म क्रय किये जाने/बेवसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के मूल्य की मनी रसीद/ड्राफ्ट विवरण।	विवरण क्रमांक	दिनांक	मूल्य रु.

(निविदाकार से अनुरोध है कि वे पूरी निविदा दस्तावेज़ प्रमाण पत्रों आदि को प्रस्तुत करते समय पेज क्रमांक आदि सावधनी से अंकित करते हुये ऑनलाईन अपलोड करें या कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करें। दस्तावेज़ समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में निविदा निरस्त समझी जावेगी।)

निविदाकार के हस्ताक्षर . . . . .

नाम : . . . . .

यह परिशिष्ट-01 निविदाकारों की सुविधा हेतु चेक लिस्ट के रूप में है। यदि इसमें टायपिंग या अन्य कारणों से निविदा शर्तों के साथ विसंगति दृष्टिगत होती है तो निविदा शर्त ही अंतिम मान्य होगी और निविदा का परीक्षण उन शर्तों के अनुसार ही होगा।

(नोट :— निविदाकार इस प्रोफार्मा को पूर्ण भरकर स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेंगे।)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.)

विषय :— दुग्ध परिवहन वाहन।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा प्रकाशित सूचना को एवं इस दस्तावेज को भली—भाँति पढ़ व समझ लिया है। यह दस्तावेज हमारे द्वारा से डाउन लोड किया है।

1. मैं इस दस्तावेज की शर्तों व नियमों के पालन के लिये सहमत हूँ।
2. मैं मार्ग क्रमांक . . . . . मार्ग का नाम— . . . . . शीत केन्द्र का नाम— . . . . . हेतु परिवहन दर भर रहा/रही हूँ।
3. मेरा विवरण निम्नानुसार है :—

निविदाकार अपना पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ चिपकायें  
एवं स्वप्रमाणित हस्ताक्षर करना होगे  
जो आधे फोटो पर व आधे इस पेज पर।

स.क्र.	विवरण	विवरण
3.1	निविदाकार का पूरा नाम	
	पता	
	दूरभाष क्रमांक कोड सहित	
	माबाईल नम्बर	
	ई—मेल	
3.2	प्रस्तुत वाहन का प्रकार	
	वाहन का माडल वर्ष	
	वाहन का पंजीयन क्रमांक	
	वाहन की क्षमता	
	वाहन का बीमा क्रमांक	
3.3	तकनीकी बिड के साथ वांछित अर्नेस्ट मनी आन लाईन जमा हो।	
3.4	निविदाकार का आयकर स्थायी खाता क्रमांक	
3.5	निविदा फार्म क्रय किये जाने/बेबसाईट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के मून्य की मनी रसीद/ड्राफ्ट विवरण।!	बैंक ड्राफ्ट/मनी रसीद का नम्बर जारी करने वाले बैंक/कार्यालय का नाम दिनांक राशि

4. बैंकर का नाम शाखा सहित(खाता क्रमांक लिखें) . . . . .

5. मेरी गत वर्ष में अमानत/प्रतिभूर्ति राशि दुग्ध परिवहन निविदा हाँ/नहीं  
अन्तर्गत राजसात की गई है। यदि हॉ तो विवरण दें।

6. क्या आपको दुग्ध संघ द्वारा निविदा भरने या कार्य से हाँ/नहीं  
प्रतिबंधित किया गया था।

यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे परिवहन कार्य सौपा जाता है तो मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करके अनुबंध करने के लिये पूर्णतः सहमत हूँ।

मैं यह शपथपूर्वक घोषणा भी करता हूँ कि मुझे किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय/शासकीय एजेन्सी ने निविदा प्रस्तुती की दिनांक तक काली सूची में दर्ज नहीं किया है/सम्बंधित संस्था की आगामी, निविदा में भाग लेने से विचित नहीं किया है।

यदि उपरोक्तानुसार शपथ मे जानकारी असत्यता/त्रुटि पाई जाती है तो मेरी निविदा निरस्ती योग्य होगी।

मैं इसके द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियाँ मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही है एवं इस हेतु मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर . . . . .

नाम . . . . .

पता . . . . .

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
हबीबगंज, भोपाल (म.प्र.)

विषय :- दुग्ध परिवहन वाहन हेतु दर प्रस्तुत करने बाबद।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा आमंत्रित “ई-निविदा” के अनुसार भोपाल दुग्ध संघ से सम्बंधित दुग्ध शीत केन्द्र संबंधित दुग्ध संकलन मार्ग पर दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निम्नानुसार दर प्रस्तुत कर रहा हूँ :—

नोट :-1) सम्बंधित मार्ग पर आने वाले टोल शुल्क की राशि का भुगतान पृथक से नहीं किया जाएगा।

## 2) यह भाव पत्र सिर्फ आँलाईन ही भरा जावे।

दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 की दो वर्ष की अवधि हेतु

क्र	शीत केन्द्र का नाम	संकलन मार्ग क्रमांक/मार्ग कोड	संकलन मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी कि.मी. प्रति पाली	वांछित वाहन	न्यूनतम केन क्षमता (40ली.)	दर रु. प्रति कि.मी
1	मालीवायाँ	44 स / 0303	रिठवाड—चकल्दी—मालीवायाँ	100	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
2		44 द / 0304	मरदानपुर—नीलकंठ—मालीवायाँ	128	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
3	भोपाल	35 अ / 0101	मेगरानवीन—भोजापुरा—भोपाल मार्ग	214	आयशर ट्रक या समकक्ष	200केन	
4	पचमा	3 / 1503	बेहलोट—रिटहरी—पचमा	120	टाटा ए.सी.इ. या समकक्ष	30 केन	
5	हरदा	39 / 2105	बिछोला—रेलवा—हरदा	140	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
6		41 अ / 2101	निरखी—हरदा	108	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
7		41 ब / 2102	रहटगांव—हरदा	130	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
8	मुलताई	बीएमसी—2 / 2004	खामडाना—जैताडाना—लीलाझर	52	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
9		बीएमसी—1 / 2012	खम्बारा—तुमरीडोल	8	टेक्टर या समकक्ष	55 केन	
10		बीएमसी—2 / 2003	करपा—देवरी—पारडसिंगा—महिलावाड़ी	50	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
11		बीएमसी—2 / 2005	तरोडाबुजुग—छिन्दी—महतपुर—ब्राह्मनवाडा—तरोनागांव	36	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
12		बीएमसी—3 / 2001	सरई—दुनावा—मुण्डापार—काठी	54	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
13		50 अ / 2010	मोही—जौलखड़ा—दिवटया—हेटी	65	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
14		50 ब / 2011	सेमझिरा—बानूर—एनस—मुलताई	73	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
15		48 अ / 2007	तिवरखेड़—पट्टन—मुलताई	112	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
16		48 स / 2008	मासौद—साठिया—मुलताई	91	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
17		/ 2013	हरदौली—चैनपुर—मालेगांव	12	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
18	राजगढ़	30 अ / 0406	छायन—बलबहादूरपुरा—पिपलोदी—राजगढ़	54	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
19	बरेली	43 ब / 0802	बरेली—तिन्सरी—समनापुर—घाटपिपरिया	116	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
20		43 स / 0803	झिरपई—चकावली—बरेली	99	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
21	आष्टा	10 ब / 0218	बरछापुरा—ग्वाली—जावरजोड़ शटल मार्ग	14	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
22		10 स / 0219	गुराडियावामो—ग्वाली—जावरजोड़ शटल मार्ग	26	पिकअप या	40 केन	

					समकक्ष		
23		11 / 0211	आमला मज्जू-आष्टा	113	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
24	ग्यारसपुर	1 / 1401	पठारी-ग्यारसपुर	166	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
25		3 / 1403	सीहोद(बड़वा)-ग्यारसपुर	84	टाटा ए.सी.इ. या समकक्ष	30 केन	
26		5 / 1405	सतपाड़ाकलौं-सीहोदा-ग्यारसपुर	74	टाटा ए.सी.इ. या समकक्ष	30 केन	
27	शुजालपुर	15 ब / 2202	दुधा-दुबडिया-शुजालपुर	35	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
28		17 / 2205	घुंसी-शुजालपुर	108	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
29		26 ब / 2213	करोंदी-बुडनपुर-शुजालपुर	75	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
30	बैतूल	51 / 1901	चिल्कापुर बी.एम.सी. शटल मार्ग	62	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
31		54 / 1905	बैतूल-सिरड़ी-आठनेर-बैतूल	147	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
32		56 ब / 1908	गढ़ी-खेड़ा-लवण्या-बैतूल	86	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
33		58 / 1910	बैतूल-बारही-बघोली-बैतूल	60	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
34		/ 1906	नसीराबाद-लकड़जाम-गोडूमण्डई-अटारी-बोरी	60	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
35		/ 1914	बी.एम.सी.विघवा(विघवा-झापल-सिंगारचावडी-वारंगवाडी)	60	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
36		65 / 1916	चिल्कापुर बी.एम.सी.-जामगांव-पण्डौल-सातनेर	75	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
37		/ 1918	बी.एम.सी. जीन (जीन-रातामाटी-देवठान-बोरगांव-नहाली)	58	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
38		/ 1912	बी.एम.सी. रोड़ा/मंडई (रोड़ा-केसिया-तारा-मलाजपुर -मंडई)	70	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
39		/ 1911	बी.एम.सी. चूनाहजूरी(चूनाहजूरी-गोंधना-उचागोहान-धामन्या)	120	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
40	नरसिंहगढ़	24 ब / 0502	नयापुरा-साका जागीर-नरसिंहगढ़-तरेली धाकड़	67	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
41		25 ब / 0503	हिकमी-मवासा-बरखेड़ा डोर-नरसिंहगढ़	98	टाटा 407 या समकक्ष	75 केन	
42		27 द / 0508	ताजपुरा-नरसिंहगढ़	79	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
43		28 ब / 0510	कोडरा-नरसिंहगढ़	124	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
44		28 द / 0512	बोरदा-अतरालिया-नरसिंहगढ़	124	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
45		28 ई / 0513	पिपलिया पडोत-खनोता-नरसिंहगढ़	130	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
46		24 स, बी.एम.सी. / 0515	धनखेड़ी-कुरावर	57	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
47	पचोर	26 द / 0601	करनवास-भिलवाडिया-सनखेड़ी-पचोर	52	बड़ी पिकअप या समकक्ष	55 केन	
48		25 द / 0604	कोलूखेड़ा-मठ-सुल्तानिया-पचोर	83	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
49		607	कोलूखेड़ी गौशाला-पान्या-पचोर	77	टाटा ए.सी.इ. या समकक्ष	20 केन	
50	गैरतगंज	65 द / 0904	शोभापुर-अधियारी-गैरतगंज	115	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
51		65 अ / 0901	मरखेड़ाटप्पा-गैरतगंज	119	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
52	सिलवानी	1 / 1001	गगनवाड़ा-सिलवानी	92	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
53		2 / 1002	नूरपुरा-सिलवानी	99	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
54		3 / 1003	गुलवाड़ा-सिलवानी	143	पिकअप या समकक्ष	40 केन	
55	विदिशा	/ 1306	खताखेड़ी-हींगंली-सांगुल-विदिशा	160	पिकअप या समकक्ष	40 केन	

56	गुना	60-3 / 2303	गुना—दुंगासार—गुना	150	टाटा ए.सी.ई. या समकक्ष	30 कैन	
57		60-4 / 2304	गुना—आरोन—गुना	95	टाटा ए.सी.ई. या समकक्ष	30 कैन	
58	भोपाल	तरल नत्रजन परिवहन	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर तरल नत्रजन एवं फोजन सीमन प्रदाय एवं दुग्ध संघ के निर्देशानुसार अन्य सामग्री परिवहन।	न्यूनतम 3000 कि.मी. प्रतिमाह	बुलेरो पिकअप या समकक्ष	—	

उपरोक्त परिवहन निविदा में समस्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ कर समझ ली गई हैं, जो मुझे मान्य हैं।

धन्यवाद।

**परिवहनकर्ता हेतु अनुबंध पत्र का नूमना पत्र  
रूपये 1,000/- के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।**

**// अनुबंध पत्र //**

अनुबंधकर्ता  
की फोटो

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ————— को निष्पादित किया गया जिसके प्रथम पक्ष (निविदाकार) श्री/श्रीमती ————— निवासी ————— एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती ————— से है एवं द्वितीय पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा गठित सहकारी समितियों के संग्रहस्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी भोपाल/दुग्ध शीत केन्द्र ————— तक एवं आरएमआरडी भोपाल/दुग्ध शीत केन्द्र ————— से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुँचाने हेतु परिवहन करने के वास्ते प्रथम पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांक ————— से द्वितीय पक्षकार (भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल) द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है, और द्वितीय पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर प्रथम पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रु————(अक्षरी रूपये —————) प्रति किमी./प्रतिट्रिप) पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्ते उभय पक्षों को मान्य होगी। दुग्ध संकलन मार्ग पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रांरभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ति पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

1. अ) यह ठेका दिनांक ————— से दिनांक ————— तक प्रभावशील रहेगी।  
ब) अनुबंध अवधि 2 वर्ष की होगी, अनुबंध अवधि समाप्त होने पर तथा कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से समान दर एवं अनुबंध शर्तों पर एक-एक कर अधिकतम दो वर्ष तक(कुल 4 वर्ष) की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
2. इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्त कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल माना जावेगा, डेरी का तात्पर्य . . . . . या शीत केन्द्र से . . . . . होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।
3. प्रतिदिन सुबह एवं शाम निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन ढक्कन सहित संस्थाओं में पहुँचाने एवं दुग्ध से भरी केन ढक्कन सहित आरएमआरडी भोपाल/ दुग्ध शीत केन्द्र ————— तक लाने की जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा समय समय पर आवश्कतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी प्रथम पक्ष को मान्य होगी, मार्ग पर किसी भी संस्था का दुग्ध न लाने दशा में प्रथम पक्ष को कारण सहित लिखित में सूचना द्वितीय पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जाँच करने पर द्वितीय पक्ष का निर्णय अन्तिम एवं प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

अधिकतम 40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफतार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पांईट से दूध उठाने एवं खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पांईट 3 से 5 मिनिट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढाई जा सकेगी।

केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय की मात्रा का हिसाब प्रथम पक्ष को रखना होगा, संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में प्रथम पक्ष को एक सप्ताह के अन्दर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी, एवं किया गया कटौत्रा वापस नहीं किया जावेगा।

4. द्वितीय पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी समान जैसे पशु आहार, धी, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज, धी टीन/पेकेट, संस्थाओं में लगने वाला मिल्को टेस्टर, टेस्टींग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है, इसका लेखा-जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुँचाना होगा। वाहन ठेकदार को सम्बंधित समिति को सामान पहुँचाकर प्राप्ति रसीद तीन

दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायतें रहती हैं तो वाहन बन्द कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

5. यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और द्वितीय पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो प्रथम पक्ष को उन पालियों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
6. निर्धारित समय में संस्थाओं का दूध डेरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेरी पर वाहन के समय पर नहीं पहुँचने की स्थिति में, दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 के अनुसार प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु द्वितीय पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है, एवं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खटटे/फट्टे दूध एवं दर अन्तर की जो भी हानि होगी, वह भी प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।
7. संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि की राशि भी प्रथम पक्ष से काटी जावेगी।
8. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों(ऐसे कृत्या—कृत्य जिनके लिये प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार न हो, को छोड़कर) जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को खटटा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार प्रथम पक्ष परिवहन रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काटी ली जावेगी।
9. क्रमांक 8 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्यों का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिए दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरान्त काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी।
10. एकसीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।
11. वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता या वाहन डेरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुये ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जाँच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
12. प्रथम पक्ष एवं उसके प्रतिनिधि के अनुपरिधि रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी, यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। यह दण्ड अधिकतम उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार नौबत आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से निरस्त कर वाहन संचालन बंद करे दें, तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

15. (अ) पशु आहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तवित भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा। समिति पाईंट पर उतारने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। टाटा 407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशु आहार ले जाना आवश्यक होगा। घी 15 लीटर टीन/16 लीटर कार्टून का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा, मिनरल मिक्सचर 25 किलो पैकिंग एवं 50 किलो पैकिंग का दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित दर पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा।
- (ब) पशु आहार/घी/मिनरल मिक्ससर के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा। जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बन्द समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी, यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो प्रथम पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी एवं हानि होने पर प्रथम पक्षकार के देयक से राशि काटी सकेगी।
- (स) संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशु आहार कम प्राप्त उतारा जाता है तो संघ को यह अधिकार रहेगा कि कम उतारे गये पशु आहार की राशि एवं साथ ही रूपये 100.00 प्रति बोरा की दर से अर्थदंड वसूल कर ले।
- (द) पशु आहार के वितरण के लिये संघ के निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रथम पक्ष से प्रतिदिन प्रति बैग रूपये 100.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात भी पशु आहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहुँचाया जावेगा जिसका वास्तविक परिवहन व्यय प्रथम पक्ष के देयक से काटा जावेगा।
16. संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रक शीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा डिलेवरी चालान ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें प्रथम पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समितियों पर जहाँ पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खोली केन दुग्ध से भरी केन चढ़ाते समय ही प्रदाय की जावेगी यदि ऐसा नहीं किया जाता है एवं केन बीच में उतारता है तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तर दायित्व प्रथम पक्ष का होगा तथा दुरुपयोग पर आर्थिक दण्ड किया जा सकेगा।
- (अ) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्य—कृत्य के लिये द्वितीय पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। प्रथम पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करना होगी।
- (ब) प्रथम पक्ष या उनके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 2 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे। !
17. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरन्तर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर ले। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण द्वितीय पक्ष को कई हानि होती है तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
18. अनुबंध समाप्ति के पश्चात राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण—पत्र, जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौत्रा कर लें। यदि कटौत्रा शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जाएगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध भी किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के सम्बंधित कर्मचारियों को भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गों पर भी वाहन चल रहे तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

19. संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर, उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है इसी तरह जितनी भी दूरी घटे-बढे उसे स्वीकृत दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से सम्बद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंधित दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।
20. अनुबंधित वाहनों पर पीछे हुड़ पर अनुबंध अवधि में बांस का टट्टर एवं उस पर त्रिपाल आवश्यक रूप से लगी होना चाहिये अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फट्टे दूध की हानि राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दण्ड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौत्रा भी प्रथम पक्ष के देयक से किया जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनों को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनों पर पानी छिड़कने की व्यवस्था भी प्रथम पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
21. यदि चैकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जाँच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड़बड़ी, हेरा-फेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोतल या दूध पीते हुए पाये जाते हैं या किसी भी प्रकार की अनियमितताएं करते पाए जाते हैं, मार्ग में पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को जो हानि हुई है उसका देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। यह राशि प्रथम पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
22. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जगबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जगबदार प्रथम पक्ष होगा तथा नुकसानी की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
23. प्रथम पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया जावेगा, उसके लिये प्रथम पक्ष जगबदार रहेगा। साथ ही द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
24. डेरी परिधि के अन्दर तेज रफ्तार से वाह नहीं चलाये जावें, डेरी परिधि में वाहन की साफ-सफाई नहीं की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनों को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अन्दर आने के पश्चात जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।
25. वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढ़ाने उतारने, सामान की देख-रेख करने एवं केनों पर पानी छिड़कने आदि का कार्य भी प्रथम पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।
26. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटों में पुनः प्रथम पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
27. दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनाएं जिसमें दुग्ध विक्रय हेतु नहीं हैं एवं सुवाना पशु आहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा।
28. इस अनुबंध के अन्तर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

29. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध में यदि कोई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
30. प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु \_\_\_\_\_ संबंध\_\_\_\_\_ उप्र— को पूर्ण होशेंहवास में नामांकित घोषित करता है। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरान्त श्री/श्रीमती/कु \_\_\_\_\_ को संघ से व्यहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृत के वारिस के हस्ताक्षर करवाकर द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष देगा।
31. प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बीच मतभेद होने पर उसे मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु अध्यक्ष (Arbitrator) भोपाल दुर्घ संघ भोपाल के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी एवं मान्य होगा। भविष्य में एम.पी.सी.डी.एफ. के निर्देशानुसार आर्बिट्रेटर (Arbitrator) परिवर्तित किया जा सकता है।
32. दुर्घ संघ एवं दुर्घ समिति में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मंडल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट रिश्तेदार पति, पत्नी, पुत्री, सगे भाई बंधु नहीं है यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जाँच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर ले।
33. प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाएँ जावेगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे, एवं उसकी एक प्रति दुर्घ संघ के कार्यालय में देंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति ओदश प्रथम पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुर्घ संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुर्घ संघ को तत्काल सूचित किया जाएगा।
34. प्रथम पक्ष द्वारा दुर्घ परिवहन के साथ दुर्घ एवं दुर्घ पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्टा) आदि की भरी एवं खाली केट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुर्घ संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। यदि दुर्घ संकलन परिवहन के साथ दुर्घ विपणन की दरें अनुमोदित नहीं हैं और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जात है, तो उसका अनुबंधित दरों से भाड़ा देय होगा। इस हेतु दूध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकता।
- (अ) दुर्घ एवं दुर्घ पदार्थ वितरण हेतु दूध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु प्रथम पक्ष को केट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली केट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।
- (ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदे डेरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।
- (स) दिये गये दूध एवं दूध पदार्थों की पावती संघ मं लाकर देनी होगी।
- (द) समय पर दूध एवं दूध पदार्थ नहीं पहुँचाने की स्थिति में सम्पूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
35. स्थानीय मध्यप्रदेश शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेंगे एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं प्रमाण पत्र द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का रस्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।
36. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेन्स प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुर्घ संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
37. प्रथम पक्ष का जिस दुर्घ संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुर्घ संकलन लाने हेतु स्वयं प्रथम पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में प्रथम पक्ष असफल होता होता है, तो द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह प्रथम पक्ष को मान्य रहेगी तथा उत्तनी राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटकर सम्बंधित को भुगतान करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होते हुए भी वैकल्पिक व्यवस्था न करते हुये अपने वाहन का उपयोग प्रथम पक्ष करता है, तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से काटने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

38. दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा, किसी भी स्थिति में केनों के ऊपर केन रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था प्रथम पक्ष को स्वयं करना होगी।
39. वाहन में दुग्ध से भरे केनों की क्षमता निम्नानुसार होगी :—
- |  |        |
|--|--------|
| ● जीप/टेम्पों/या समान क्षमता का वाहन   | 25 केन |
| ● पिकअप या समान क्षमता का वाहन   | 40 केन |
| ● मेटाडोर/ट्रेक्टर या समान क्षमता का वाहन  | 55 केन |
| ● टाटा 407 या समान क्षमता का वाहन  | 75 केन |
| ● टाटा 608/आयशर/डी.सी.एम./माजदा/आलवीन या समान क्षमता का वाहन 120 केन<br>अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रूपये 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा। |        |
40. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 01 से दिनांक 15 तक का देयक प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होगें, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 30/31 तक का देयक आगामी माह की दिनांक 3 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होगें जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा।
41. संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली बेट स्लीप एवं एडवार्इज पहुँचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहुँचाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से रूपये 5.00 एवं दण्ड स्वरूप प्रथम पक्ष के देयक से कटौती की जावेगी।
42. यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों से निरन्तर दूध या फैट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 3 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावें, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनों में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फैट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से कटी जावेगी।
43. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सम्मिलित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। प्रथम पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त करने व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।
44. संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही प्रथम पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहुँचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपरिथत रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेरी डाक/शीत केन्द्र तक पहुँचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से कटी जावेगी।
45. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनांक 16.06.2017 से भारत शासन की तेल कंपनियों द्वारा प्रतिदिन डीजल की दर में कमी/वृद्धि(परिवर्तन) करने के निर्णय के कारण परिवहनकर्ताओं को प्रतिदिन बदली हुई डीजल दर अनुसार भुगतान करने से बिल बनाने की प्रक्रिया लम्बी होने के कारण समिति के सहमति उपरांत डीजल दर माह की एक तारीख को प्रभावशील डीजल दर अनुसार ही पूरे माह का देयक पारित किया जावेगा। दर में कमी/वृद्धि की गणना वाहन की क्षमता के आधार पर निम्नानुसार की जावेगी।

क्र	वाहन की क्षमता अनुसार वाहन का प्रकार	औसत/लीटर
1	20 केन के लिये 1.0 टन क्षमता	30 किमी
2	40 केन के लिये 2.0 टन क्षमता	15 किमी
3	30 केन के लिये 1.5 टन क्षमता	22 किमी
4	55 केन के लिये 2.5 टन क्षमता	10 किमी
5	75 केन के लिये 3.5 टन क्षमता	08 किमी

6	120 केन के लिये 6.0 टन क्षमता	07 किमी
7	160 केन के लिये 8.0 टन क्षमता	06 किमी

इस प्रकार औसत प्रति किमी पर डीजल दर कमी/वृद्धि से राशि की गणना कर तदानुसार वाहन की दर में कमी/वृद्धि माह में दो बार बार की जावेगी।

डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी। । ।

46. अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे, तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एकट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा—जोखा प्रथम पक्ष को ही रखना होगा।
47. विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा, किन्तु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2-3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।
48. संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बन्द किया जा सकेगा।
49. डेयरी संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अन्तर की राशि प्रथम पक्ष से वसूल की जा सकेगी।
50. संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावे, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।
51. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अन्दर स्थाई लेखा संख्या(पैन नम्बर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृत की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।
52. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं माडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा। इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5000/- संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
53. प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।
54. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र भोपाल रहेगा।

मैं \_\_\_\_\_ प्रथम पक्ष ने उक्त अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभूति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा एवं अनुबंध की समस्त शर्तें मान्य हैं। निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

साक्षी

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

पिता/पतिका नाम

पता

दूरभाष

1 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार  
(सील सहित )

अनुबंधकर्ता  
की फोटो

तरल नत्रजन परिवहनकर्ता हेतु अनुबंध पत्र का नूमना पत्र  
रूपये 1,000/- के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध किया जाए।

// अनुबंध पत्र //

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ————— को निष्पादित किया गया जिसके प्रथम पक्ष (निविदाकार) श्री/ श्रीमती ————— निवासी———— एवं उत्तराधिकारी श्री/ श्रीमती ————— से है एवं द्वितीय पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी है ।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा गठित सहकारी समितियों को तरल नत्रजन, फोजन सीमन, दवाएं, चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान सामग्री पहुँचाने एवं नत्रजन प्रदेश के बाहर से परिवहन कर लाने वास्ते प्रथम पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमॉक———— से द्वितीय पक्षकार (भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल) द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु आवेदन किया है, और द्वितीय पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निवंधनों एवं शर्तों पर प्रथम पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रु————(अक्षरी रूपये —————) प्रति किमी./ प्रतिट्रिप) पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है ।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा । अनुबंध की शर्ते उभय पक्षों को मान्य होगी । दुग्ध संकलन मार्गों पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ती पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा ।

1. अ) यह ठेका दिनांक ————— से दिनांक ————— तक प्रभावशील रहेगी ।  
ब) अनुबंध अवधि 2 वर्ष की होगी, अनुबंध अवधि समाप्त होने पर तथा कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से समान दर एवं अनुबंध शर्तों पर एक—एक कर अधिकतम दो वर्ष तक(कुल 4 वर्ष) की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी ।
2. इन शर्तों को तरल नत्रजन परिवहन ठेके की शर्ते कहा जावेगा । शर्तों में जहाँ—जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल, डेयरी/शीत केन्द्र का तात्पर्य भोपाल डेयरी या शुजालपुर, राजगढ़, नरसिंहगढ़, लटेरी, सॉची, सोहागपुर, हरदा, बरेली, मालीवायाँ, बैतूल, मुलताई, गैरतगंज तथा शाहगंज, समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समिति/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से होगा एवं ठेकेदार से तात्पर्य वाहन मालिक होगा ।
3. दूसरी मंजिल में तरल नत्रजन पात्र लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा । पार्टीशन व्यवस्था वाहन ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर करना होगी । वाहन में किसी भी स्थिति में तरल नत्रजन के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान रखने की अनुमति नहीं होगी ।
4. तरल नत्रजन पात्र की आवश्यक सुरक्षा हेतु वाहन में रबर मेटिंग एवं त्रिपाल लगाना आवश्यक है, साथ ही यदि वाहन में लापरवाही के कारण तरल नत्रजन पात्र खराब होते हैं तो इस हानि का दायित्व ठेकेदार का होगा ।
5. संघ 3000 कि.मी. औसत निर्धारित दूरी प्रतिमाह किये जाने के आधार पर अनुबंधित करता है । यह औसत दूरी पूरा करने में वाहन का उपयोग तरल नत्रजन क्य, वितरण एवं संघ के अन्य परिवहन कार्य जैसे पशु आहार, धी, दुग्ध संकलन परिवहन, दुग्ध संग्रहण एवं जॉच उपकरण संघ से सम्बंधित दुग्ध शीत केन्द्रों को भेजना एवं वाहन से दौरा आदि का कार्य भी लिया जा सकेगा ।
6. संघ के कार्यक्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र के बाहर यदि संघ कार्य हेतु वाहन जाता है तो टोल टेक्स एवं परमिट व्यय आदि किसी प्रकार का पृथक व्यय संघ द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा । संघ कार्यक्षेत्र में अचानक दुग्ध संकलन वाहन बंद होने की स्थिति में संघ के निर्देशानुसार दुग्ध संकलन कार्य सम्पादन एवं निर्धारित समय से विलम्ब से आने व दुग्ध खट्टा—फट्टा प्राप्त होने पर संघ के संकलन परिवहन नियमानुसार दायित्व ठेकेदार का होगा ।

7. प्राकृतिक प्रकोप एवं मानवीय कृत्यों से परे जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के समय पर न आने या अनुपस्थित रहने अथवा आदेश की अवहेलना करने की दशा में वाहन के बदले अन्य वाहन लगाया जाता है तो लगाये गये वाहन की अंतर राशि एवं आर्थिक दण्ड जो कि कम से कम रूपये 500.00 ठेकेदार से वसूल किये जावेगा।
8. दुर्घटना या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा तरल नत्रजन पात्र को नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी एवं क्षति की राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जा सकेगी।
9. वाहन हेतु डीजल व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः ठेकेदार का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में कार्य नहीं किया जाता या वाहन देरी से भेजा जाता है तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि की पूर्ति ठेकेदार के परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।
10. ठेकेदार द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेगा, वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। इनके द्वारा लापरवाही या अभ्रद व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही ठेकेदार को करनी होगी।
11. यदि ठेकेदार या ठेकेदार के प्रतिनिधि अथवा वाहन कर्मचारियों द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभ्रद व्यवहार किया जाता है तो संघ को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार से आर्थिदण्ड वसूल कर अनुबंध निरस्त कर सकें।
12. ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरन्तर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में संघ को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति की राशि जप्त कर ले। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण संघ को कई हानि होती है तो वह भी ठेकेदार के देयक से वसूल की जा सकेगी।
13. वाहन पर सदैव त्रिपाल रहेगा एवं वाहन के सभी बल्ब चालू हालत में रहेगा।
14. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह ठेकेदार के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी।
15. ठेकेदार द्वारा हड़ताल या कार्य बंद में भाग नहीं लिया जावेगा। ऐसा करने पर समस्त हानि एवं आर्थिक दण्ड ठेकेदार के देयक से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही संघ को अधिकार होगा कि इस कारण से ठेकेदार से अनुबंध निरस्त कर दें एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवें।
16. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा। यदि खराब हो जाता है तो 24 घण्टे में सुधरवाने का दायित्व ठेकेदार का होगा। स्पीडो मीटर में त्रुटि पाये जाने पर हानि एवं दण्ड की वसूली ठेकेदार के देयक से की जा सकेगी।
17. इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि ठेकेदार से संघ या समितियों की निकलेगी तो संघ को ठेकेदार की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो इसके लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा।
18. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर निर्णय लिया जावेगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।
19. मैं अपना वारिस श्री————— संबंध————— उम्र————वर्ष को पूर्ण होश हवास में नामांकित घोषित करता हूँ। मेरी मृत्यु या मेरी पूर्ण अपंगता/मृत्यु में श्री .———— को संघ से समस्त व्यवहार करने का अधिकार रहेगा।

20. प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के बीच मतभेद होने पर उसे मध्यस्थता (Arbitration) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु अध्यक्ष (Arbitrator) भोपाल दुग्ध संघ भोपाल के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी एवं मान्य होगा। भविष्य में एम.पी.सी.डी.एफ. के निर्देशानुसार आर्बिट्रेटर (Arbitrator) परिवर्तित किया जा सकता है।
21. प्रथम पक्षकार (वाहन ठेकेदार) एवं दुग्ध संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मंडल के सदस्य में से कोई निकट रिश्तेदार पति, पत्नी, पुत्री, सगे भाई बंधु नहीं है। अगर जॉच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो संघ को यह अधिकार होगा कि वह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर लें।
22. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के ठेकेदार उपलब्ध करायेगा, जो हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।
23. स्थानीय शासन, मध्यप्रदेश शासन अथवा भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह ठेकेदार के बिलों से काट लिये जावे तथा राशि को शासकीय कोषालय में जमा कर दिया जावें। उसका प्रमाण—पत्र संघ द्वारा ठेकेदार को दिया जावेगा।
24. परिवहन देयकों के भुगतान हेतु 1 से 15 तारीख तक का देयक ठेकेदार द्वारा 20 तारीख तक तथा 16 से 31 तारीख तक का देयक 5 तारीख तक संघ कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसका भुगतान 5 एवं 20 तारीख तक किया जावेगा।
25. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, इसी प्रकार वाहन ठेकेदार भी 90 दिन पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। परंतु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में अथवा पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी।
26. ठेकेदार द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त कर देवें। अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जबावदारी ठेकेदार की होगी।
27. स्वीकृत दर अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी या वृद्धि होती है तो माह की एक तारीख को प्रभावशील डीजल दर अनुसार ही पूरे माह का देयक पारित किया जावेगा। दर वृद्धि या कमी की प्रति कि.मी. गणना निम्नानुसार की जावेगी :—

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति कि.मी.
1	टाटा 407 एवं समान क्षमता का वाहन	10 कि.मी.
2	महेन्द्रा पिक-अप एवं समान क्षमता का वाहन	12 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति.मी. डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनोंक से प्रति.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, आईल, टायर ट्यूब एवं करों आदि में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।

28. अनुबंधित वाहन पर चालक या सहायक ठेकेदार द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व अनुबंधकर्ता स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौत्रा का लेखा—जोखा वाहन ठेकेदार स्वयं को ही रखना होगा।
29. वाहन संघ के कार्य में संलग्न होने पर पुलिस, आर.टी.ओ. अथवा किसी अन्य विभाग आदि द्वारा वाहन रोका जाता है अथवा किसी नियम के अंतर्गत रोका जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। अन्य वाहन की व्यवस्था तुरंत कर संघ कार्य को निरन्तर रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वाहन का नियमानुसार बीमा होना आवश्यक है साथ ही वाहन सम्बंधी समस्त दस्तावेज पूर्ण होना चाहिए।

30. ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

31. विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र भोपाल रहेगा।

उभय पक्षों ने उक्त अनुबंध शर्तों का अवलोकन भलीभौति एवं पूर्ण होशोहवास में कर लिया है तथा निविदा एवं अनुबंध की समस्त शुर्तें मान्य हैं। निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

साक्षी

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

पिता/पति का नाम

पता

दूरभाष

1

-----

-----

-----

2

-----

-----

-----

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार

(सील सहित )

## भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

क्रमांक / / क्षे.सं./भो.दु.सं./19  
भोपाल, दिनांक  
प्रति,

प्रधान सम्पादक,  
दैनिक जागरण  
प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी.नगर  
भोपाल (म0प्र0)

विषय :— संलग्न विज्ञापन प्रकाशित कराने बाबद् ।

महोदय,

संलग्न विज्ञापन आपकी ओर प्रेषित कर लेख है कि विज्ञापन को बार्टर सिस्टम के तहत अनुबंधित दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के भोपाल / सीहोर / विदिशा / रायसेन / होशगाबाद / बैतूल / हरदा / राजगढ़ / गुना / शाजापुर संस्करण के दिनांक 05.02.2019 के अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न : विज्ञापन ।

महाप्रबंधक(क्षे.सं.)

क्रमांक / / क्षे.सं./भो.दु.सं./19  
भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि ::

- प्रभारी (वित्त), भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

महाप्रबंधक(क्षे.सं.)